

प्रारूप-2

संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन वाडा रायपुर)

दूरभाष : 0771-4240278 ई-मेल : jdeduraipur@gmail.com

क्र. / विद्यागीय मान्यता / आर 0027 / 2021 2757

रायपुर, दिनांक :

13 OCT 2021

पता :

प्रबंधक / अध्यक्ष,

पोदार एजुकेशन सोसायटी बैरनबाजार रायपुर

पोदार इंटरनेशनल स्कूल मानाबस्ती रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

सन्दर्भ :-

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ज्ञापकं / मान्यता ग्रामीण / 2021 / 13590 रायपुर, दिनांक 24.08.2021.

विधय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 28.01.2021 के सन्दर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निर्देशना एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.) की अनुशंसा उपरांत मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल मानाबस्ती रायपुर, जिला-रायपुर (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) को कक्षा नर्सरी एवं कक्षा पहली से कक्षा दसवीं (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए तारीख 2021-22 से 2023-24 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए सशर्त अनुमति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्थीरता निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्त निनामुसार होंगी-

- मान्यता की स्थीरता विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए काइ बाध्यता विक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथारिति नर्सरी कक्षा गे) उरा कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक अस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसका पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुसारन किया जाएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसो प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सदृश न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
 - (एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (दो) किसी भी बच्चे का शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा;
 - (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

क्रमांक

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager
Podar International School
Raipur, Pin - 492015

11/2/1

- (छह) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है वरने कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम का प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी :
- (सात) अध्यापकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा :
- (आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक खवय भाग नहीं लेंगे/लेंगी :
- (नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्रिम सुरक्षा की व्यवस्था रथायित जा रकूल परिसर का क्षेत्रफल –
कुल निर्मित क्षेत्रफल –
खेल नेटान का क्षेत्रफल –
कक्षाओं के कमरों की संख्या –
प्रधानाध्यापक कक्ष—सह कार्यालय सह—स्टोर कक्ष –
लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन – हाँ है।
खच्छ पेयजल सुविधा – हाँ है।
मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर – हाँ है।
वाधा रहित प्रवेश सुविधा – हाँ है।
पठन—पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता – हाँ है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर व उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या रथलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेख विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिव्यंजन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवित नाम्यता कोड नम्बर 2021-आर-0027 एवं डाइस (DISE) कोड नम्बर 22110417818 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याका उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय—समय पर अप्रैल तक और सज्ज सरकार/रथानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सासायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. सलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्ते
1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तक मान्य होंगी तथा भवन. व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. कक्षा आठवीं तक निशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(ख) एवं कक्षा नवमी से वारतवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
3. कक्षा नवमी से वारहवीं के लिए हाई रकूल एवं हायर सेकेन्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मण्डल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
4. रथानान्तरण प्रमाण पत्र (टी सी) में मान्यता का कमाक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

संभागीय संशुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठा क्र./विभागीय मान्यता/आर 0027/2021 2758

रायपुर, दिनांक 3 OCT 2021

प्रतिलिपि:

- संवित, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्युनिटी सेन्टर प्रीत विहार दिल्ली (भारत)– 110092 को सूचनार्थ।
- संवित, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL
Podar International School
Raipur-492015 (C.G.)

Manager

Podar International School
Raipur, Pin - 492015

संभागीय संशुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)